

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

वन मित्र कॉन्सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक- 504 / 121 गोपेश्वर दिनांक 17 अगस्त 2021.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा कर्णप्रयाग में प्रस्तावित देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 11/FP/UK/ROAD/38601/2019, दिनांक 01.07.2021।
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 808/12-1, दिनांक 11.08.2021 द्वारा आख्या आपको प्रेषित की गयी है। उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की आख्या के अनुसार देवल - धानई मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.07.2021 (संलग्न) को किया गया, जिसमें लो0नि0वि0 गौचर, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार पूर्व से निर्मित कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग का उद्देश्य मुख्यतः ग्राम पैठाणी को जोड़ने का है। ग्राम धानई जिसकी जनसंख्या लगभग 200 है तथा पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर स्थित है जो कि यातायात की सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत है। मोटर मार्ग का निर्माण वन पंचायती भूमि में किया जाना है, आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मार्ग के वैकल्पिक संरक्षण का प्रयास भी किया गया परन्तु दूसरी ग्राम सभा द्वारा आपत्ति करने एवं वैकल्पिक मार्ग पर स्लाइडिंग जोन होने के कारण वैकल्पिक मार्ग उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का सन्दर्भित पत्र एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या की तीन प्रतियां संलग्न कर पुनः संस्तुति के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक

नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

संख्या / ,दिनांकित।

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक

नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 868 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 11-8-2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में राज्ययोजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यातर्जन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 46/FP/UK/ROAD/38601/2019 दिनांक 24-07-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 29-07-2021 को वृक्षों की संख्या को न्यून करने तथा वैकल्पिक संरक्षण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वैकल्पिक संरक्षण पर विचार किया गया वैकल्पिक संरक्षण में भूस्खलन की संभावना एवं ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

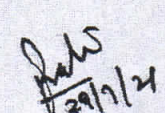
संयुक्त निरीक्षण आगवा

प्रमाणित वन अधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गौरीचर का पत्रांक-417/12-1 दिनांकित 23-7-2021
आज दिनांक 29/07/2021 को नि.ख. ली.नि. वि. गौरीचर की तरफ

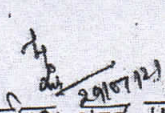
से इं. अमित कुमार पटेल, सहायक अभियंता एवं इं. प्रतीक उग्रवाल, अपर सहायक अभियंता एवं वन विभाग की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन दौलाधिकारी धनपुर रेंज तथा राजेश्वर विभाग की तरफ से श्री हरेश चन्द्र पोखरीवाल, राजेश्वर उप निरीक्षण-बैनौली " मा. मु. छी. सं. - 1471/2015 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु " संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। संयुक्त निरीक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं -

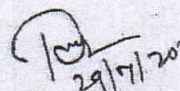
- ① प्रस्तावित ग्राम गूगल मैप (Google Map) में पूर्व से ही निर्मित। कर्णप्रयाग नौटी - पैंठाणी मोटर मार्ग, से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रदर्शित होता है परन्तु कर्णप्रयाग - नौटी - पैंठाणी मो. मार्ग का उद्देश्य मुख्यतः पैंठाणी (जिला- पौड़ी) की जोड़ने का है जो कि किमी. 27 में आंशिक जोखार की तुलना पहुँचाता है तथा ग्राम धानई जिसकी जनसंख्या लगभग 200 है मुख्यतः पूर्व में निर्मित मोटर से काफी ऊँचाई पर स्थित है जिस कारण मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है जिससे ग्रामीणों की मूल-भूत सुविधा का लाभ मिल सके।
- ② प्रस्तावित मोटर मार्ग वन पंचायत भूमि से होकर जा रही है न कि आच्छात वन भूमि से। अरक्षित वन भूमि की दूरी सम्बन्धित मोटर मार्ग से लगभग 1.50 किमी. है।
- ③ वृक्षों के पातन में न्यूनता लाने हेतु बैकलिंग मार्ग का प्रयास किया गया पर दूधरी ग्राम समूह द्वारा विवाद तथा मार्ग पर स्लाइडिंग जौन व ग्रामीणों के आपत्ति के कारण सम्भव नहीं हो सका। प्रस्ताव में चयनित संरक्षण ही सर्वोत्तम है जिसमें लक्ष्य की सहमति भी है तथा तकनीकी दृष्टि से भी स्लाइडिंग जौन इत्यादि नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं. - FP/UK/ROAD/38601/2019 के नवनिर्माण हेतु स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।


(इं. प्रतीक उग्रवाल)
अपर सहायक अभियंता


(इं. अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियंता


(श्री. हरेश चन्द्र पोखरीवाल)
राजेश्वर उप निरीक्षक


(श्री. पंकज ध्यानी)
वन दौलाधिकारी